न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः– लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

अपील संख्याः– 36/2022

1. मुन्नी देवी पुत्री औंकारमल गोदारा पत्नी रघुवीर सिह डूडी, जाति जाट, निवासी न्यू कॉलोनी, डिफेन्स स्कूल के पास, कस्बा झुंझुनूं, तहसील व जिला झुंझुनूं।
2. मोहनी देवी पुत्री औंकारमल गोदारा पत्नी रिशाल सिह, जाति जाट, निवासी तोलासेही, तहसील चिडावा जिला झुंझुनूं।
3. अणची देवी पुत्री औंकारमल गोदारा पत्नी हरिसिह महला, जाति जाट, निवासी चूरू बाईपास, तिलक पब्लिक स्कूल, कस्बा झुंझुनूं, तहसील व जिला झुंझुनूं।
4. शारदा देवी पुत्री औंकारमल गोदारा पत्नी रघुवीर सिह पूनियां, जाति जाट, निवासी ग्राम तोलासेही, तहसील चिडावा जिला झुंझुनूं।

—— अपीलान्ट्स

बनाम

1. रामस्वरूप गोदारा पुत्र औंकारमल गोदारा, जाति जाट, निवासी जाटावास, बगड, तहसील व जिला झुंझुनूं।
2. सत्यवीर पुत्र औंकारमल गोदारा, जाति जाट, निवासी जाटावास, बगड, तहसील व जिला झुंझुनूं।
3. भवर सिह पुत्र स्व0 धनपति देवी व जगन सिह महला, जाति जाट निवासी ग्राम मुरोत का बास, तहसील व जिला झुंझुनूं।
4. उमेश कुमार पुत्र स्व0 धनपति देवी व जगन सिह महला, जाति जाट निवासी ग्राम मुरोत का बास, तहसील व जिला झुंझुनूं।
5. सुमन देवी पुत्र स्व0 धनपति देवी व जगन सिह महला, जाति जाट निवासी ग्राम मुरोत का बास, तहसील व जिला झुंझुनूं।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार झुंझुनूं, तहसील व जिला झुंझुनूं।

—— रेस्पोडेन्ट्स

— — —

प्रथम अपील अ0 धारा 75 राज0 भू–राजस्व अधि0 1956 के तहत बखिलाफ न्यायालय तहसीलदार झुंझुनूं नामान्तकरण सं0 27 दिनांक 09.02.1994 ग्राम कायस्थपुरा, तहसील व जिला झुंझुनूं।

— — —

उपस्थितः–

1. श्री राजेन्द्र सिंह बुडानिया, अभिभाषक– अपीलान्ट्स की ओर से उपस्थित।
2. श्री संदीप काजला, अभिभाषक– रेस्पोडेन्ट्स 1 लगायत 5 की ओर से उपस्थित।
3. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक– रेस्पोडे[...] की ओर से उपस्थित।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.11.09 16:36:50 IST
Reason: SelfAttested

आदेश

दिनांक [...].10.2022

उक्त विषयक अपील मय प्रार्थना पत्र [...] के विद्वान तहसील[...]नूं के नामान्तरकरण संख्या 27 दिनांक 09.02.1994 भूमि वाके ग्राम कायस्थपुरा के विरूद्व प्रस्तुत [...]ई है। प्रार्थना पत्र दफा 5 मि0अ0 पर बहस सुनी गयी। अपील का निर्णय गुणावगुण के आधार पर करने की दृष्टि से प्रार्थना पत्र दफा 5 मि0अ0 स्वीकार किया जाता है। अपीलान्टस नामान्तरण आदेश दिनांक 30.11.1975 से स्वथित होकर अपील नीचे लिखे अनुसार प्रस्तुत कर रहे है कि नामान्तकरण सं0 27 दिनांक 30.11.1975 खिलाफ कानून, न्याय व पत्रावली है। कस्बा बगड़ में कुशला वल्द नाथा कोम जाट गत खसरा नं0 1038 रकबा 14 बीघा 6 बिश्वा को खातेदार काश्तकार रहा था। कुशला के देहान्त पर

उक्त भूमि जरिये उत्तराधिकार औकारमल पुत्र कुशला को प्राप्त हुई। गत खसरा नम्बर 1038 रकबा 14 बीघा 6 बिश्वा वाके ग्राम बगड़ से बाद सैटलमेन्ट राजस्व ग्राम कायस्थपुरा में वर्तमान खसरा नं0 199 रकबा 3.62 हैक्टर कायम हुये है जो वर्तमान में रेस्पोडेन्ट सं0 1 व 2 के नाम अपीलाधीन नामान्तरकरण आदेश के तहत राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। गत खसरा नं0 1038 रकबा 14 बीघा 6 बिश्वा वाके ग्राम बगड़ हाल खसरा नं0 199 रकबा 3.62 हैक्टर वाके ग्राम कायस्थपुरा का खातेदार काश्तकार औंकारमल पुत्र कुशला अपीलान्टस व रेस्पोडेन्ट सं0 1 व 2 का पिता व रेस्पोडेन्ट सं0 3 लगायत 5 का नाना रहा है। औंकारमल पुत्र कुशला के देहान्त होने पर रेस्पोडेन्ट सं0 1 व 2 ने राजस्व अधिकारियो व कर्मचारियो से मिलीभगत कर कुटरचित वारिस प्रमाण पत्र के आधार पर भूमि गत खसरा नं0 1038 का फौतगी नामान्तकरण सं0 27 दिनांक 30.11.1975 स्वयं के नाम बहिस्सा बराबर बराबर गलत रूप से तस्दीक करवाया गया है। उक्त नामान्तकरण तस्दीक होने पर अपीलान्टस को सुनवाई का अवसर नही दिया गया ना ही अपीलान्टस को उक्त नामान्तकरण आदेश की कभी कोई जानकारी रही है। औंकारमल पुत्र कुशला की वंशावली निम्न प्रकार रही है :–

<table>
<tr><td colspan="8">औंकारमल (फौत)</td></tr>
<tr><td>मुन्नी देवी पुत्री</td><td>मोहनी देवी पुत्री</td><td>अणची देवी पुत्री</td><td>शारदा देवी पुत्री</td><td colspan="3">धनपति देवी (फौत) पुत्री</td><td>रामस्वरूप पुत्र</td><td>सत्यवीर पुत्र</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>भवर सिह पुत्र</td><td>उमेश कुमार पुत्र</td><td>सुमन पुत्री</td><td></td><td></td></tr>
</table>

औंकारमल पुत्र कुशला को भूमि गत खसरा नं0 1038 कुशला व नाथा से जरिये उत्तराधिकार प्राप्त हुई है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत औंकारमल पुत्र कुशला की मृत्यु होने पर औकारमल के उत्तराधिकार एवं वारिसान के नाम उक्त भूमि का नामान्तकरण दर्ज होना चाहिये था जो रेस्पोडेन्ट सं0 1 व 2 द्वारा कुटरचित वारिस प्रमाण पत्र के आधार पर राजस्व कर्मचारियो से मिलीभगत कर दर्ज नही होने दिया। उक्त नामान्तकरण आदेश विधि की अवज्ञा कर तस्दीक किया गया है जो आरम्भतः अवैध व शून्य है। यह कि रेस्पोडेन्ट सं0 3 लगायत 5 औंकारमल की पुत्री धनपति के पुत्र व पुत्रीयां होने से आवश्यक पक्षकार बनाये गये है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश नामान्तकरण सं0 27 दिनांक 30.11.1975 को निरस्त कर पत्रावली अदालत मातहत को इस आदेश के साथ पुनः प्रेषित की जावे कि औंकारमल पुत्र कुशला के वारिसान की जांच कर अपीलान्टस को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर पुनः नामान्तरण दर्ज किया जावे।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट्स ने बहस के दौरान अपील तथ्यों की पुनरावर्ती की तथा तर्क प्रस्तुत किया कि कस्बा बगड़ में कुशला वल्द नाथा कोम जाट गत खसरा नं0 1038 रकबा 14 बीघा 6 बिश्वा को खातेदार काश्तकार रहा था। कुशला के देहान्त पर उक्त भूमि जरिये उत्तराधिकार औकारमल पुत्र कुशला को प्राप्त हुई। गत खसरा नम्बर 1038 रकबा 14 बीघा 6 बिश्वा वाके ग्राम बगड़ से बाद सैटलमेन्ट राजस्व ग्राम कायस्थपुरा में वर्तमान खसरा नं0 199 रकबा 3.62 हैक्टर कायम हुये है जो वर्तमान में रेस्पोडेन्ट सं0 1 व 2 के नाम अपीलाधीन नामान्तरकरण आदेश के तहत राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। गत खसरा नं0 1038 रकबा 14 बीघा 6 बिश्वा वाके ग्राम बगड़ हाल खसरा नं0 199 रकबा 3.62 हैक्टर वाके ग्राम कायस्थपुरा का खातेदार काश्तकार औंकारमल पुत्र कुशला अपीलान्टस व रेस्पोडेन्ट सं0 1 व 2 का पिता व रेस्पोडेन्ट सं0 3 लगायत 5 का नाना रहा है। औंकारमल पुत्र कुशला के देहान्त होने पर रेस्पोडेन्ट सं0 1 व 2 ने राजस्व अधिकारियो व कर्मचारियो से मिलीभगत कर कुटरचित वारिस प्रमाण पत्र के आधार पर भूमि गत खसरा नं0 1038 का फौतगी नामान्तकरण सं0 27 दिनांक 30.11.1975 स्वयं के नाम बहिस्सा बराबर बराबर गलत रूप से तस्दीक करवाया गया है। उक्त नामान्तकरण तस्दीक होने पर अपीलान्टस को सुनवाई का अवसर नही दिया गया ना ही अपीलान्टस को उक्त नामान्तकरण आदेश की कभी कोई जानकारी रही है। औंकारमल पुत्र कुशला को भूमि गत खसरा नं0 1038 कुशला व नाथा से जरिये उत्तराधिकार प्राप्त हुई है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत औंकारमल पुत्र कुशला की मृत्यु होने पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.11.09 16:36:50 IST
Reason: SelfAttested

औकारमल के उत्तराधिकार एवं वारिसान के नाम उक्त भूमि का नामान्तकरण दर्ज होना चाहिये था जो रेस्पोडेन्ट सं0 1 व 2 द्वारा कुटरचित वारिस प्रमाण पत्र के आधार पर राजस्व कर्मचारियो से मिलीभगत कर दर्ज नही होने दिया। रेस्पोडेन्ट सं0 3 लगायत 5 औंकारमल की पुत्री धनपति के पुत्र व पुत्रीयां होने से आवश्यक पक्षकार बनाये गये है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश नामान्तकरण सं0 27 दिनांक 30.11.1975 को निरस्त कर पत्रावली अदालत मातहत को इस आदेश के साथ पुनः प्रेषित की जावे कि औंकारमल पुत्र कुशला के वारिसान की जांच कर अपीलान्टस को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर पुनः नामान्तरण दर्ज किया जावे।

वकील रेस्पोडेन्ट्स सं0 1 लगायत 5 ने वकील अपीलान्ट्स के कथनों का विरोध कर तर्क प्रस्तुत किया कि विवादित भूमि के संबंध मे भरे गये नामान्तरंकरण को सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी द्वारा स्वीकार किया गया है। सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी के आदेश के विरूद्व अपील सुनने के लिए यह न्यायालय सक्षम नही है। वाके ग्राम कायस्थपुरा के क्रम मे भरा गया नामान्तरकरण संख्या 27 दिनांकित 09.02.1994 नियमानुसार स्वीकार किया गया है। अपीलान्ट ने यह अपील 29 साल बाद पेश की है जो अन्दर मियाद नही है। अपीलान्ट ने अपील मेमो मे भी अपील देरी से पेश करने का युक्तियुक्त कारण नही बताया है। अतः अपील अपीलान्ट निरस्त फरमाई जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं0 6 ने अपनी बहस के दौरान वकील अपीलान्ट के कथनो का विरोध कर तर्क प्रस्तुत किया कि वाके ग्राम कायस्थपुरा के क्रम मे भरा गया नामान्तरकरण संख्या 27 दिनांकित 09.02.1994 नियमानुसार नामान्तरकरण स्वीकार किया गया है। अपीलान्ट ने यह अपील 29 साल बाद पेश की है जो अन्दर मियाद नही है। अतः अपील अपीलान्ट मियाद के बिन्दू पर ही निरस्त फरमाई जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजों एवं बहस वकील पक्षकारान् से साफ जाहिर है कि नामान्तरकरण संख्या 27 दिनांकित 09.02.1994 वाके ग्राम कायस्थपुरा सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी द्वारा स्वीकार किया गया है। सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी के आदेश की अपील सुनने के लिए यह न्यायालय सक्षम नही है। अतः अपीलान्ट की यह अपील खारिज की जाती है। अदालत मातहत का रेकार्ड आदेश प्रति सहित लौटाया जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 31.10.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल0एस0कुडी)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.11.09 16:36:50 IST
Reason: SelfAttested